




- (iii) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग - सदस्य  
(iv) प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग - सदस्य  
(v) प्रमुख सचिव/सचिव, सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग - सदस्य

मुख्य सचिव द्वारा यथावश्यकता किन्हीं उपयुक्त अधिकारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में समिति की बैठक में बुलाया जा सकता है।

4. कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना हेतु आर्कीटेक्ट का चयन करने हेतु मुख्य सचिव समिति को अपनी संस्तुति दी जायेगी। आर्कीटेक्ट का चयन कार्यदायी संस्था के पैनल से अथवा खुली निविदा के माध्यम से Quality based selection (QBS) सिस्टम से किया जायेगा। किस रीति से आर्कीटेक्ट का चयन होना है, यह उक्त प्रस्तर-3 में अंकित समिति के द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
5. मुख्य सचिव समिति द्वारा आर्कीटेक्ट, डिजाइन तथा कार्य की सामान्य विशिष्टियों के बारे में संस्तुति दी जायेगी जिस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के माध्यम से आगणन तैयार कराकर तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति से उसकी स्वीकृति कराते हुए तथा उच्च विशिष्टियों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए स्वीकृति कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा खुली निविदा के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण संस्था/प्राइवेट बिल्डर का चयन भवन निर्माण हेतु कराया जायेगा।
6. ऐसे कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु स्वतंत्र थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जायेगी जो योजना का समवर्ती निरीक्षण करेगी तथा भुगतान की संस्तुति भी करेगी। थर्ड पार्टी का चयन सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त प्रस्तर-3 में अंकित समिति से कराया जायेगा।
7. उपर्युक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,  
  
(जावेद उस्मानी)  
मुख्य सचिव।

संख्या-ई-8-158(1)/दस-13-1074/2012-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०।
3. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ०प्र०।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, लखनऊ।
8. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ०प्र०।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० लखनऊ।
10. निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि०(पैकफेड) लखनऊ।
12. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(आनन्द मिश्र)  
प्रमुख सचिव।

पत्रांक 4458/सि.स.स. मं०/बि.जे.स.से.ल.प.स.दि० 25/02/13

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- (1) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, यू.पी.वी.सी.संस्कृत, लखनऊ।
- (2) महाप्रबन्धक (प्रशासन) / यू.पी.वी.सी.संस्कृत, लखनऊ।
- (3) समस्त महाप्रबन्धक, - - - - - ।
- (4) समस्त परियोजना प्रबन्धक, - - - - - ।

25/2/13  
(रंजित जीव)  
महाप्रबन्धक (प्रा.)